

न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला-पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सीवर, आर०ए०एस०

राजस्व प्रा० पत्र सं० : 62/2019 (8480/2015)

GCMS NO. : 2015/00013

--: प्रार्थी :-

बनाम

--: अप्रार्थीगण :-

1. अचलाराम पुत्र घासीराम  
जाति-देवासी, निवासी-कठमोर,  
तहसील- जैतारण, जिला- पाली  
राज०।

1. घासीराम पुत्र किशनाराम  
2. भंवरी देवी पत्नि किशनाराम  
जाति-देवासी, निवासी-कठमोर,  
तहसील- जैतारण, जिला- पाली  
राज०।  
3. जंवता पुत्र राणा  
4. मेघा पुत्र राणा  
5. चिमना पुत्र राणा  
6. करणा पुत्र राणा  
जाति-देवासी, निवासी-दयालपुरा,  
तहसील- जैतारण, जिला- पाली  
राज०।  
7. उप पंजीयन अधिकारी जैतारण  
जिला-पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी  
अधिनियम, 1955

तारीख रजु: 23/09/2019

उपस्थित: 1. श्री देवाराम कटारिया, अधिवक्ता, प्रार्थी।  
2. श्री राजेन्द्र बोहरा, श्री गोविन्द प्रजापत, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

--: निर्णय :-

दिनांक: 18/11/2021


वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना-पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा दयालपुरा पटवार हल्का भुम्बलिया तहसील जैतारण में सायल की पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 269 रकबा 14 बीघा 7 बिस्वा आई हुई है, जिस पर सायल का कब्जा काश्त है। सायल खातेदार घासीराम का जायन्दा पुत्र है। उपरोक्त आराजी घासीराम की स्वयं की खरीद सुदा नहीं होकर उनके पिता किशना पुत्र मंगला की थी तथा उनकी मृत्यु के बाद उक्त जमीन सायल के पिता के नाम से आई जिस पर सायल का कब्जा व काश्त है जो गैरसायलान संख्या 1 व 2 सायल के पिता व दादीजी है। जिस पर गैरसायलान संख्या 3 से 6 लगातार रजिस्ट्री करवाने का दबाव बना रहे है। उपरोक्त कृषि भूमि सायलान के हिस्से में आई हुई है तथा गैरसायलान संख्या 3 से 6 ने पूर्व में एक वाद क्रमांक 1368/2015 पेश किया था जो न्यायालय में लम्बित है तथा उन्होंने उक्त भूमि अपनी बताकर दावा पेश किया था जिस पर उस पर सफल नहीं होने पर जातिगत व्यक्तियों को इकट्ठा कर सायल के पिता व दादी को ऐलानियाँ दी कि उक्त

  
सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली)



आराजी गैरसायलान संख्या 3 से 6 के नाम करवावें नहीं तो उनको सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर दिया जायेगा व जबरन लाठियों के बल पर उक्त जमीन पर काबिज हो जायेंगे। गैरसायल संख्या 1 व 2 सामाजिक दबाव में डरे हुए हैं। जो कभी भी बिना मालियत दिये दबाव पूर्वक गैरसायलान संख्या 7 के यहाँ दबाव में बैचान हस्तान्तरण, रहन आदि कर सकते हैं, जबकि उन्हें ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। उक्त आराजी उनकी स्वयं की खरीदसुदा न होकर पैतृक पुश्तैनी आराजी हैं उक्त आराजी को केवल गैरसायलान भोग सकते हैं लेकिन बैचान करने का उनको कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। गैरसायलान संख्या 1 व 2 का सायल प्रथम श्रेणी का वारिसान है। उक्त भूमि में उनका हक निहित है। गैरसायलान संख्या 1 व 2 दिनांक 28/08/2015 को सायल के पास आये व कहाँ कि समाज जबरन गैरसायलान संख्या 3 से 6 सिखावट में आकर मेरे से बैचाननामा करवा रही है व तुम्हें जबरन जमीन से बेदखल कर देंगे। जब सायल ने गैरसायलान से ऐसा विधि विरुद्ध कार्य करने से रोकना चाहा तो उन्होंने ऐलानियों धमकी दी कि हम तुम्हारे दादी व बाप को उपपंजीयन कार्यालय में ले जाकर जबरन रजिस्ट्री करवा देंगे व लाठियों के बल पर तुम्हें उक्त जमीन से बेदखल कर देंगे जबकि सायलान काबिज काश्त है व उक्त आराजी उनके हिस्से में आई हुई है। सायल गरीब व्यक्ति है ताकत के बल पर उनसे मुकाबला नहीं कर सकते हैं इसलिए उन्हें भूमि बैचान करने व सायल को बेदखल करने से रोकने के लिए उक्त वाद अस्थाई निषेधाज्ञा श्रीमान् के समक्ष पेश है। समस्त तथ्यों व परिस्थितियों के अनुसार तथा सायल की पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि होने से प्रथम दृष्टया मामला सायल के पक्ष में है, बखूबी साबित है। अगर गैरसायल संख्या 1 व 2 जो कि सायल के पिता व दादी हैं जो गैरसायलान संख्या 3 से 6 के दबाव में आकर के अगर उक्त कृषि भूमि को आगे बैचान कर देते हैं तो सायल अपने अधिकारों से वंचित हो जायेंगे जिससे अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर सम्भव नहीं होगी इसलिए सुविधा का सन्तुलन भी सायल के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए गैरसायलान को उक्त गैर कानूनी कृत्य करने से रोकने हेतु उक्त प्रार्थना-पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना-पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना-पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित खसरा नम्बर की कृषि भूमि में गैरसायलान को बैचान, वसीयत, रहन, बख्शीश, हस्तान्तरण आदि करने से तथा सायल की कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के वाद अन्तिम निस्तारण रोका जावे।


इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायलान को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायलान द्वारा वकालतनामा पेश किया गया, जो सा.मि. है। गैरसायल वकील श्री ओमप्रकाश पंचारिया की तरफ से नो इन्स्ट्रक्शन प्लीड करने से एवं गैरसायल संख्या 1 व 3 से 6 को बावजूद सम्मन सूचना तामिल के अनु० रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

  
 सहायक क्लर्क  
 (फास्ट ट्रेक) नैतारण (पाली)

गैरसायल संख्या 2 ने जवाब प्रार्थना-पत्र पेश नहीं करने हेतु आदेशिका पर हस्ताक्षर किये।

बहस वकूलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा हस्तगत प्रकरण के सम्यक् न्याय निर्णयन में मार्गदर्शन प्राप्त किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार है:-

1. **प्रथम दृष्टया मामला:-** पत्रावली मय दस्तावेज के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी के पैतृक पुश्तैनी होने के कथन करते हुए स्थाई निषेधाज्ञा का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर दौराने वाद विचारण अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की प्रार्थना की है। पत्रावली पर उपलब्ध भू-अभिलेखीय दस्तावेज यथा जमाबन्दी संवत् 2067-2070 ग्राम दयालपुरा खसरा नम्बर 269 रकबा 14 बीघा 7 बिस्वा में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बतौर खातेदार दर्ज है। साथ ही प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी के पैतृक पुश्तैनी होने के कथन किये है परन्तु घोषणा के संबंध में मूल वाद में कोई अनुतोष नहीं चाहा है। मूल वाद के अनुतोष के संबंध में गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि केवल कृषि भूमि का अभिधारी ही स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर सकता है जबकि प्रार्थी वादग्रस्त आराजी में बतौर खातेदार दर्ज नहीं है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरुद्ध साबित होता है।
2. **सुविधा का संतुलन:-** प्रथम बिंदू प्रार्थी के विरुद्ध साबित हुआ है। साथ ही प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त होने संबंधी कथन किये है परन्तु उक्त कथनों के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा खसरा गिरदावरी प्रस्तुत नहीं की है जिससे की उक्त कथन साबित होता होते हो। दूसरी ओर पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत् 2067-70 ग्राम दयालपुरा अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 वादग्रस्त आराजी में बतौर खातेदार दर्ज है। यदि किसी खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो उसे अपने खातेदारी अधिकारों के उपभोग/उपयोग से महरूम होना पड़ेगा जिससे निश्चित ही उन्हें अधिक असुविधा होगी। अतः यह बिंदू भी प्रार्थी के विरुद्ध साबित होता है।
3. **अपूरणीय क्षति:-** चूंकि प्रथम दोनों बिंदू प्रार्थी के विरुद्ध साबित हुए है साथ ही प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई विश्वसनीय दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे कि यह साबित होता हो कि यदि प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। दूसरी ओर, अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 वादग्रस्त आराजी के खातेदार है। सामान्यतः कृषि भूमि का वर्तमान लाभार्थी महत्वपूर्ण होता है। किसी खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से उसे अपने खातेदारी अधिकारों के सुलभ उपभोग/उपयोग में कठिनाई होगी जिससे उसे अपूरणीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है। अतः यह बिंदू भी प्रार्थी/सायल के विरुद्ध साबित होता है।

  
सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण प्रार्थी/सायल के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना विधिसंगत होगा।

--: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी/सायल धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



सहायक कलक्टर  
फास्ट ट्रेक,  
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज.

निर्णय आज दिनांक 18/11/2021 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर  
फास्ट ट्रेक,  
जैतारण जिला-पाली(राज.)